न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 03 / 2020

दायर दिनांक – 27 / 01 / 2020

निर्णय दिनांक – 24.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020 / 00015

प्रार्थी

1. श्री पूनाराम पुत्र श्री प्रताप राम, जाति जाट निवासी पीह तहसील परबतसर जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–1. श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर))

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नं. 838 के वर्किंग नक्शा ट्रेस में दर्शित स्थान के अनुसार ही वर्तमान नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से वर्तमान प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसके पुराना खसरा नं. 830 तथा वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नं. 838 है। उक्त खातेदारी भूमि के भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान बने नवीन खसरा नं. का वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस, वर्किंग खसरा नम्बर के वर्किंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:47:46 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

नक्शे ट्रेस की तुलना में गंभीर त्रुटियां है जिससे प्रार्थी की आराजी की स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2209 दिनांक 02.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **" प्रकरण में प्रार्थी खातेदार के वर्किंग खसरा नम्बर 890 के नए खसरा नम्बरान 838 का वर्किंग नक्शा अनुसार नक्शा दुरुस्ती करने हेतु आवेदन किया है। वर्किंग नक्शे का वर्तमान नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि उपरोत खसरा नम्बर 838 की वर्किंग नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती करने पर इस खसरे के अडौसी–पडौसी सहित बहुत ज्यादा रकबा प्रभावित होता है। चूंकि वर्किंग नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में बहुत ज्यादा भिन्नता है। उक्त दुरूस्ती नये सेटलमेन्ट के दरम्यान ही की जानी संभव है, ताकि उपरोक्त खसरों के साथ साथ अडौसी–पडौसी खसरा नम्बरान की तफावत भी हो सकें। उपरोक्त स्थिति में बिना नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थी खातेदार को उनके खातेदार अधिकारी के तहत वर्किंग नक्शे के अनुसार मौके पर रिक्त भूमि पर कब्जा सम्भलाया जाना उचित है।"**

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नं. 838 का बिना नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थी खातेदार को उनके खातेदार अधिकार के तहत वर्किंग नक्शे के अनुसार मौके पर रिक्त भूमि पर कब्जा सम्भलाया जाना , न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:47:46 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चावण्डिया, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

रेकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नं. 838 का बिना नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थी खातेदार को उनके खातेदार अधिकार के तहत वर्किंग नक्शे के अनुसार मौके पर रिक्त भूमि पर कब्जा सम्भलाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:47:46 IST
Reason: SelfAttested